

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

1704/  
2026

पनावली में है। वकील परामर्श  
उपस्थित। प्रकरण में अहम अंतिम  
सुन जा सुनी है। दोनों अहम  
वकील वारीसी के अर्थ नियम कि  
वारीसी के पिता देवा आलय इत्या  
जाति मेघवाल की खोतेधुदा आराम  
ग्राम खैराबाद ख. नं. 5025/2175,  
2204, 2205, 2208, 2189, 2203 रकबा  
9 बीघा 15 बिल्वा सुनि रही है।  
पिता की मृत्यु के बाद वर्ष 2002 में  
वारीसी नब लिखत खातेदा कब्रिज है।  
मु. प्रबंध- सं. 2014-2033 में आविक्त  
ख. नं. 2175 रकबा 2 बीघा 19 बिल्वा  
ख. नं. 2205 रकबा 09 बिल्वा, ख. नं.  
2208 रकबा 5 बीघा 15 बिल्वा के अंत  
में नवीन ख. नं. 2239 रकबा 9 बीघा  
03 बिल्वा आपस होगा बनाना गया।  
परन्तु नवीन ख. नं. 2239 को गलत  
से प्रतिवारी क्र. 1 के पिता लक्ष्मीनारायण  
आलय गोरीशंकर जाति ब्राह्मण के नाम  
खाते दमे कर दी गयी है। जबकि  
इस सुनि पर प्रतिवारी क्र. 1 की आविक्त  
नहीं रहा। ख. नं. 2239 के नवीन ख. नं.  
2400 रकबा 1.48 बीघा बना है।  
जो वर्तमान में प्रतिवारी क्र. 1 के नाम  
खाते दर्ज है। अतः उक्त आराम की  
प्रतिवारी क्र. 1 के खाते से नाम खारी न  
र वारीसी के नाम दर्ज खाल करने  
बाबत अग्रज दुम्बरी निसे पति ठेठ  
अनुमोद प्राप्त गया है।

वकील प्रतिवारी क्र. 1 द्वारा उपर्युक्त  
जवाब दाना के अनुसार - वाद पक्ष की  
पद नं. 1 में आविक्त सुनाने ख. नं. 5025/2175  
2204, 2205, 2208, 2189, 2203 रकबा 9 बीघा  
15 बिल्वा सुनि वारीसी के पिता देवा देवा रकबा  
की जोतदारी में नहीं रही है।

che  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी

तारीख

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वादीनी द्वारा प्रस्तुत नकल - खसरा  
 तराही ग्राम खैराबाद (अ.पबंध विभाग)  
 संवत् 2010 में ख.नं. 2175 2 बीघा 15 बिक्का  
 2208 की 5 बीघा 15 बिक्का तथा ख.नं.  
 2205 की 09 बिक्का कुल 09 बीघा 3 बिक्का  
 जिले के नबीन ख.नं. 2239 बने हैं उक्त  
 आराजी लक्ष्मी नारायण बेरा गौरी शंकर  
 कोल प्रालय के खातेदारी में दर्ज है  
 2239 के नबीन ख.नं. 2400 खसरा 1.48 बीघा  
 प्रतिवारी रु. 1 राधेश्याम एवं राजाराम के  
 शापलाती खातेदारी में दर्ज थी। फौजी  
 जागोहरकरण सं. 2692 से राजाराम का  
 नाम खाते से खारीज हुआ। प्रतिवारी  
 रु. 1 द्वारा उक्त अजि पा अपने कब्जे  
 की पुष्टि हेतु नकल खसरा गिरदावर  
 संवत् 2067, 2068, 2069, 2070 प्रस्तुत  
 की है, जिनसे अजि पा 'फलल' होने की  
 पुष्टि होती है। प्रतिवारी रु. 1 के आवेदन  
 पर नदील द्वारा पैनाईश का पत्थरायकी  
 करवायी गयी, जिले के बाद के दोनो मस  
 अपनी अपनी खातेदारी अजि पा डाकियन  
 प्रतिवारी रु. 1 द्वारा पैनाईश रिपोर्ट दिनांक  
 24.7.2011 की फौजी प्रति प्रस्तुत की गयी।  
 वादीनी के वाद पत्र में अजि  
 मिश्र व मन्नादेव हैं। प्रतिवारी रु. 1  
 के वर्तमान ख.नं. 2400 खसरा 1.48 बीघा  
 खाते व कब्जे की अजि पा के वादीनी  
 का नाम कोई खरोबा नहीं रहा है।  
 अतः प्रतिवारी रु. 1 का अजि पा अजि पा  
 लीला का वाद वादीनी खारीज दिने  
 जाने का निवेदन दिया गया है।  
 अपने फावकी का फायदा  
 अनलोचना दिया।

चे  
 उपखण्ड अधिकारी  
 रामगंजमण्डी

प्रकरण में निम्न विवाहों के  
तनकीयात कायम की गयी हैं -

(1). आभा कारगुस्त अमे ग्राम खैराबाद  
5025/2175, 2204, 2205, 2208, 2189,  
2203 इन्कल खतबा 9 बीघा 15 बिल्ला  
अभि वादिमा की पैतृक सम्पत्ति के  
जिलदी मुष्टि हेतु वकिल वादिमा  
द्वारा नकल खाता (अ. प्रबंध विभाग)  
संवत् 1999, से 2002 (प्रदेश-1) तथा  
प्रदेश-2 नकल खाता (अ. प्रबंध विभाग)  
संवत् 2007-2010 प्रस्तुत किया गया  
जिनमें उक्त आरामी संवत् 2009  
से 2001 तक वादिमा के मिला-देवा  
केरा दस्ता के नाम तथा संवत्  
2002 में अ.नं. 2531 से लक्ष्मी देवी  
ग.का. देवा की मेघवाल गली शंकर  
दरज रिकार्ड टोका संवत् 2010 तक  
खदसूर भंगन होने की मुष्टि होती है

(2). आभा पुनाने अ.नं. 5025/2175, 2208  
2205 के गरीब अ.नं. 2239 को वादिमा  
के स्थान पर अ. प्रबंध विभाग द्वारा  
गुरिपूर्वक प्रतिवारी का। के मिला के  
नाम खाते दर्ज कर दिया है जो उक्त  
भोग्य है। इन तनकी को सही लिख  
करने का जिम्मा वादिमा स्वयं का  
था, परन्तु वादिमा द्वारा ऐसा कोई  
जिम्मा हीनफल अधिका दस्तावेज  
द्वारा समझ प्रस्तुत नहीं किया  
जिससे यह लिख के लगे कि उक्त  
अ.नं. 5025/2175, 2208, 2205 के गरीब  
अ.नं. 2239 कायम अमे गये है।  
नतः यह तनकी वादिमा के खिलाफ  
ताम की जाने हैं।

*Che*  
उपरखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

(3). आधा वादिया टार ख.नं. 2400  
ख.नं. 1.48 बंदर (ने प्रतिवादी कं. 1 के  
नाम से खासत त्वापक रूप से नाम  
दल करवाने की तरफ से इस नगरी  
को लगे निहू न से अ दायित्व वादिया  
की था, परन्तु वादिया द्वारा देना कोई  
साक्ष्य सिद्ध / दस्तावेज हमारे पास  
पेश नहीं किया गया, जिससे यह निहू  
ले लगे कि टार ख.नं. 2400 ख.नं.  
1.48 बंदर वही मुक्ति है, जिसे वादिया  
ने अपने वार पत्र की मद नं. 1 में वरी  
करते हुये अपने पिल तथा पिल के  
बाद स्वयं के त्वापक की उक्ति देना  
जताया है। अतः यह नगरी वादिया  
के खिलाफ तय की जाती है।

(4). आधा वादिया वादिया मुक्ति के  
संबंध में प्रतिवादी कं. 1 के विरुद्ध  
वादिता त्वापक निषेधाज्ञा प्राप्त करने  
की आदिवादी है। इस नगरी के संबंध  
में न्याया. की लि. नं. 65/2014 में निर्णय  
दिनांक 16.1.2015 से मूल वार के निष्कारण  
तक 'सूधामिति' के आदेश पारित हो  
चुके हैं। अतः यह नगरी वादिया के  
पक्ष में तय की जाती है।

(5). आध ख.नं. 2175, 2189 ख.नं.  
वकीला दलिया लक्ष्मीनारायण श्री गौरीशंकर  
की उक्ति है जो उनकी मृत्यु के बाद  
प्रतिवादी कं. 1 व उनके भाई राजाराम  
की उक्ति है। इस नगरी को निहू न से  
अ दायित्व प्रतिवादी कं. 1 का था।  
प्रतिवादी कं. 1 के द्वारा प्रस्तुत नगरी  
खाता सं. नं. 2007-2010 (अं. सं. सं. सं. सं.)  
से मुक्ति हो जाते हैं यह नगरी प्रतिवादी  
के पक्ष में तय की जाती है।

*che*  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी

ख  
म

(6). आधा ख. नं. 2400 रकबा 1.48 प्रतिवारी रु. 1 की सुविधि व जिन पर आपने पिछले वर्ष ले दी काबिल व इस वनकी को लिख करके का दायित्व प्रतिवारी रु. 1 का था। प्रतिवारी रु. 1 के द्वारा नकल जमाबंदी ख. 2055-58 ख. नं. 2239 रकबा 9 बीघा 3 बिन्दा 3 पिस राधेश्याम रामाराम श. लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण के खाते की प्रस्तुत की है, जिसमें आर. नोट - नार्स: 2692 दिनांक 5.6.2006 के मुताबिक रामाराम का नाम खरीद होता है। प्रस्तुत नकल मिला नकल (अ. प्रबंध) ख. 2004-2004 (प्र. 216) के अनुसार गत ख. नं. 2239 रकबा 9 बीघा 3 बिन्दा के वर्तमान ख. नं. 2400 रकबा 1.48 रकबा कायम होगा याथा जाता है। प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत् 2068-2071 (प्र. 21-5) के अनुसार ख. नं. 2400 रकबा 1.48 की सुविधि प्रतिवारी राधेश्याम श. लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण के नाम खाते की रिकार्ड टोन लिख होता है। आत: यह वनकी प्रतिवारी रु. 1 के पर में तप ही जाती है।

(7). आधा वारिधा के कायम-पुत्रात् पुलचंद्र द्वारा प्रस्तुत वसूलीत नामा कूट रचित व प्रकीर्ण है। इस वनकी को लिख करके का दायित्व प्रतिवारी रु. 1 का था। पत्रावली में उपलब्ध अपेक्षित वसूलीत के संबंध में नदवीलदा के निर्णय दिनांक 30-3-2015 के अनुसार स्थानीय लजामा फ्त डेनिष्ठ नवज्योति दिनांक 28.1.2015 को विनाशित प्रमाणित की गयी, जिसके संबंध में कोई आपत्ति नहीं आते। इसे नदवीलदा द्वारा वसूलीत अनुसार रिकार्ड में अपाल-दराफत दिखे जाने के आदेश पारित दिखे गये है।

*Che*  
उपर्युक्त अधिकारी  
रामगंजमण्डी

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

तहसीलदार के आदेश की पालना में  
नामांतरण सं. 173 दिनांक 28.7.15  
(प्रति-7) से उक्त विचारित सं. नं.  
के अतिरिक्त सभी अप्रियां-पुलचंद  
के मक्ष में दर्ज रिपोर्ट की गयी है।  
उक्त महतगी प्रतिवारी सं. 1 के  
खिलाफ तय की जाती है।

(8). आभा प्रतिवारी सं. 1 (वा. 3) के अप्रियां  
पर वादिया (जयें कायम-मुजाम) के  
विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त होने  
पर अधिकारी है।  
मुक्ति, तगरी सं. (2) के अनुसार

वादिया महतगी करने में असफल  
रही है कि उक्त स्वामित्व की अप्रियां  
के सं. नं. 5025/2115, 2208, 2205 के  
गवत सं. नं. 2239 बनने से। उक्त  
पर लिहू होना है कि प्रतिवारी सं. 1 के  
स्वामित्व की अप्रियां सं. नं. 2239 तथा  
वादिया की वादग्रस्त अप्रियां में भिन्नता  
होने से प्रतिवारी-1 वादिया के अ.पु.  
के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त होने  
पर अधिकारी है। यह तगरी प्रतिवारी  
के मक्ष में तय की जाती है।

(9). आभा धारा 42 राज. कानून की अप्रियां  
1955 का वाद पर क्या असर है।  
प्रतिवारी सं. 1 के स्वामित्व की अप्रियां सं. नं.  
2239 खन 9 बीघा 3 बिल्ला के वर्तमान  
ख. नं. 2400 खन 1.48 बीघा अप्रियां मुक्ति  
की वादिया की अप्रियां उक्त मुक्ति  
के नाम रही है, ऐसा कोई दस्तावेज  
तयारे स्पष्ट नहीं है। विचारित अप्रियां  
के गवत सं. नं. 2239 रहे हो यह  
किन्हीं दस्तावेज से प्रमाणित नहीं होने से  
वादिया व प्रतिवारी की अप्रियां पृथक्-पृथक्  
अप्रियां होने के कारण धारा 42 RTA प्रमाणित  
नहीं है।  
Che

तारीख  
हुकम

(10) आज प्रतिवारी क्र. 1 के डाय  
 स्वयं के खाते की अति ख.नं. 2400  
 ख.नं. 1.48 रकम मिलने स्वामिन  
 ख.नं. 2239 रहे हैं, जो पंजीकृत  
 निष्प-पत्र दिनांक 15.01.2019 से  
 कान्ता सेन 2/0 प्रभुलाल सेन के  
 बे-मान का दिने जाने से प्रकरण में  
 केत - कान्ता सेन पुत्री प्रभुलाल सेन  
 आवश्पक पक्षधार बनाये जाने की  
 प्रतिवारी से इन तनकी को सिद्ध  
 करने का दावेज स्वयं केत (प्रतिवारी  
 क्र.3) या धा केत - (प्रतिवारी क्र.3)  
 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा दिनांक 19.3.21  
 पंजीकृत निष्प पत्र दिनांक 15.01-2019  
 एवं नकल जमावदी ख. 2072-75 से  
 ख.नं. 2400 ख.नं. 1.48 की अति वरमान  
 में कान्ता सेन पुत्री प्रभुलाल सेन के नाम  
 खातेदारी में रजिस्टर्ड होने की पुष्टि  
 होती है यह तनकी प्रतिवारी क्र.3 के  
 पक्ष में तम की जाती है

अरोक्तानुसार तनकीवार

विवेचन उपरान्त प्रकरण में वादिया  
 की विनारित आशानी गत ख.नं. 5025/2175  
 2205, 2208 के गरीब ख.नं. 2239  
 बन के ऐसा कोई मिलान संभव नहीं  
 रत्नाकेज तपारे स्वयं प्रस्तुत गरीबों  
 से यह सिद्ध नहीं होगा कि ख.नं. 2239  
 के खाते का वर्तमान प्रतिवारी क्र.3 आधवा  
 अपने पूर्व प्रतिवारी क्र.1 की वादिया के  
 स्वामिन की अति या वादिया रहे हैं।  
 प्रतिवारी क्र.1 के स्वामिन की अति वादिया  
 की अति से प्रथक अति होना उचित नहीं  
 है। अतः वाद वादिया खातीज दिना  
 जाता है।

Che  
 उपखण्ड अधिकारी  
 रामगंजमण्डी

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-----------------------	--	---

निर्णय आज दिनांक 15/04/2026  
को सुनाया गया / फौजदारी सुनाने के  
फताववा जमानत के रूप में जारी  
रखित दाखल की जावे।



*che*  
 याद IAS,  
 उपखण्ड अधिकारी  
 रामगंजमण्डी